उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018

(दिनांक 04.08.2020 तक संशोधित)

1. प्रथम संशोधन संख्या 342/86–2019–183/2011 दिनांक 09.03.2019.
2. द्वितीय संशोधन संख्या 729/86–2020–183–2011, दिनांक 22.05.2020.

2A. तृतीय संशोधन संख्या 1090/86–2020–183–2011, दिनांक 04.08.2020.

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग
संख्या 3091/86–2018–183–2011
लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

सा0प0नि0–95

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 4268/77–2002–53/2001 दिनांक 2 सितम्बर, 2003 का अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य में खनिजों के अवैध खनन एवं भण्डारण का निवारण करने कर दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन 1957) से है;

(ख) 'जिलाधिकारी' का तात्पर्य संबंधित जिला के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट से है;

(ग) 'वाहक' का तात्पर्य वाहन या सुविधा की किसी रीति से है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाता है और इसमें ट्रक, ट्रैक्टर, डम्पर, रेल, जलयान या कोई अन्य साधन सम्मिलित है;

(घ) 'जॉच चौकी' का तात्पर्य खनिज (खनिजों) के परिवहन से सम्बन्धित दस्तावेजों का सत्यापन करने हेतु प्राधिकृत कार्मिक द्वारा प्रबंधकृत किसी स्थायी या अस्थायी संरचना से है;

(ड़) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से सलग्न किसी प्रपत्र से है;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(छ) 'सरकारी प्रयोगशाला' का तात्पर्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन क्रियाशील रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशालाओं से है;

(ज) 'अवैध खनन' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) का उल्लंघन करके किये गये किसी खनन क्रियाकलाप से है;

(झ) 'अवैध परिवहन' का तात्पर्य अधिनियम और तत्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधो से अन्यथा रूप में किसी खनिज का परिवहन करने या परिवहन कराने से है;

(ञ) 'अवैध भण्डारण' का तात्पर्य अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों से अन्यथा रूप में किसी खनिज का भण्डारण करने से है;

(ट) 'निरीक्षणकर्ता अधिकारी' का तात्पर्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 24 और उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से है;

(ठ) 'अनुसंधान कार्य' का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजनार्थ उघोग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उसके उच्चीकरण के लिये उसकी उपयुक्तता के परीक्षण हेतु किये गये किसी कार्य से है;

(ड) 'वैज्ञानिक परीक्षण' का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजनार्थ खनिज कि रासायनिक विश्लेषण या खनिजीय अध्ययन और उसके रासायनिक तथा खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिये किये गये किसी परीक्षण से है;

(ढ) 'भण्डारण अनुज्ञप्ति' का तात्पर्य जिलाधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जारी अनुज्ञप्ति से है जो कोई खनिज रखना चाहता हो, विक्रीत करना चाहता हो, उसका व्यापार करना चाहता हो, उसका परिवहन, भण्डारण या अन्यथा रूप में व्यवहरण करना चाहता हो;

(ण) 'भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी' का तात्पर्य खनिज (खनिजों) का विक्रय या प्रसंस्करण करने हेतु क्रय करने, रखने, भण्डारित करने, विक्रय करने, आपूर्ति करने, परिवहन करने, वितरण करने या परिदान करने का व्यवसाय करने हेतु इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी व्यक्ति से है;

(त) 'अभिवहन पास' का तात्पर्य उक्त अधिनियम औा इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधि सम्मत परिवहन हेतु जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गये पास से है;

(थ) 'परिवहन' का तात्पर्य खनिज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जाने से है;

(द) 'तुला चौकी' का तात्पर्य खनिजों या खनिज उत्पादो को तौलने की यांत्रिकीकृत या इलेक्ट्रानिक प्रणाली से है;

(ध) 'नगरीय क्षेत्र' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नगरीय और विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों पदो के वही अर्थ होगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है।

प्रतिषेध

3. कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन स्वीकृत किये गये किसी स्टाक अनुज्ञप्ति की निंबधन एवं शर्तों के सिवाय विक्रय या उपभोग के प्रयोजनार्थ किसी स्थान पर खनिज क्रय करने, रखने, भण्डारित करने, विक्रीत करने, उनकी आपूर्तित करने, उसका परिवहन

करने, वितरण करने या परिदान करने या किसी खनिज का अन्यथा रूप में व्यवहरण करने का कार्य नही करेगा :

परन्तु यह कि अवीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टाधारक से, ऐसे खनिजों, जिनके लिये उसके पास खनन परिहार हो, के सम्बन्ध में यथास्थिति पट्टाधृत क्षेत्र के भीतर ऐसे खनिज (खनिजों) को रखने, भण्डारित करने, विक्रीत करने, उनकी आपूर्ति करने उनका परिवहन करने, वितरण करने या प्रसस्करण करने और पट्टाधृत क्षेत्र से परिवहन करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नही की जायेगी :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी पट्टेदार/अनुज्ञापत्र धारक या किसी व्यक्ति, जो स्वयं के उपभोग के उपयोग हेतु खनिज क्रय करे और धारित करे, से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

अनुज्ञप्ति की स्वीकृत और खनिजों के भण्डारण की पात्रता

4. (1) निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होगा :–

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो;

(ख) ऐसी कोई कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की परिधि में न हो;

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो;

(घ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति किसी पूर्व अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने के लिये रदद् की दी गयी हो;

(ड़) [1]{सम्बन्धित जिला हेतु नदी तल के खनिजों की दशा में,}[1] [2]{पट्टेदार, कोविड–19 महामारी से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि में भण्डारण अनुज्ञप्ति के सिवाय;}[2]

(2) खनिज भण्डारण की अनुज्ञा दी जायेगी, यदि :–

(क) [1]{वह नदी तल के खनिजों की दशा में पट्टाकृत क्षेत्र से 5 कि0 मी0 के घेरे के अर्न्तगत न हो;}

[2A]{परन्तु उक्त निर्बन्धन, नदी तल में अनन्य रूप में मिश्रित अवस्था में पाये गये बालू, बजरी, बोल्डर पर आधारित उघोगों के लिये लागू नही होंगे;}[2A]

(ख) [2A]{वह अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक संग्रहीत न किया जाय।}[2A]

---

1. प्रथम संशोधन संख्या 342/86–2019–183/2011 दिनांक 09.03.2019.
2. द्वितीय संशोधन संख्या 729/86–2020–183–2011, दिनांक 22.05.2020.
2A. तृतीय संशोधन संख्या 1090/86–2020–183–2011, दिनांक 04.08.2020.

अध्याय–दो
भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति और उसका नवीकरण

भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन

5. (1) ऐसे किसी व्यक्ति, जो जो कोई खनिज प्राप्त करना, भण्डारित करना, विक्रीत करना चाहता हो, उसका व्यापार या उपभोग करना चाहता हो या उसे अन्यथा के रूप में व्यवहृत करना चाहता हो, को प्रपत्र 'क' में भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा। यदि वह ऐसे किसी खनिज जिसकी प्राप्ति का स्त्रोत जिला अधिकारी की अधिकारिता में न हो, के भण्डारण और व्यापार या भण्डारण और उपभोग हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन करता है तो उसे खनिज प्राप्ति के स्त्रोत/स्थान का उललेख करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन दो प्रतियों में जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसकी अधिकारिता में आवेदक खनिज भण्डारित करना चाहे।

(2) आवेदक को ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखाशीर्षक ''0853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उघोग 102 खनिज परिहार फीस, भाटक एवं स्वामित्व'' के अधीन दस हजार रूपये मात्र की अप्रिदेय फीस जमा करनी होगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होगें:–

(एक) समुचित लेखाशीर्षक के अधीन जमा की गयी उपनियम (2) के अधीन यथा विहित अप्रतिदेय फीस की मूल चालान और खनिज स्टाक के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा की रशीद;

(दो) भूमि के हक से सम्बन्धित दस्तावेज, जिसमें विक्रय विलेख/भाटक विलेख/भू–स्वामी की नोटरीकृत शपथ पत्र पर सहमति सम्मिलित होगा;

(तीन) भू–कर मानचित्र, नजरीनक्शा, जिसमें क्षेत्र की सीमाओं का विवरण हो,

(चार) चरित्र प्रमाण पत्र;

(पॉच) आवेदित खनिज की मात्रा की अन्यून 10 प्रतिशत रायल्टी का ऋण शोधन प्रमाण पत्र;

(छः) इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक चोरी या तस्करी या अवैध खनन या अवैध परिवहन या अवैध खनिज भण्डारण से सम्बन्धित किसी मामले में किसी न्यायालय में सिद्ध दोष नही ठहराया गया हो;

(सात) अधिनियम या तत्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन संदेय जिलाधिकारी द्वारा, विधिमान्य खनन देयों से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अनुप्रमाणित फोटो।

भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन का निस्तारण

6. ऐसी जॉच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् और आवेदित खनिज की मात्रा में 10 प्रतिशत रायल्टी की प्रतिभूति जमा की प्राप्ति पर जिलाधिकारी आवेदक को नियम 7 में विनिर्दिष्ट शर्त पर एक समय में अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त के साथ भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकता है कि नदी तल के खनिज हेतु 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक मानसून अवधि में अनुज्ञप्तिधारी को अपने 90

प्रतिशत स्टाक के परिसमाप्त होने को दर्शाने वाली विवरणी/अभिलेख प्रस्तुत करना होगा जिसे सम्बन्धित जिला के ज्येष्ठ खनन अधिकारी/खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जायेगा। स्टाक परिसमाप्त न होने पर जिलाधिकारी वहॉ अनुज्ञप्ति रदद् कर सकता है, जहॉ आवश्यक पाया जाय और प्रतिभूति जमा को समयहृत कर सकता है। यदि वह भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने का विनिश्चय करता है जो जिलाधिकारी आवेदक को उसकी सहमति हेतु ऐसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति को शासित करने वाली निबंधन एवं शर्ते संसूचित करेगा। आवेदक संसूचना प्राप्त करने के दिनांक से सात दिन के भीतर निबंधन एवं शर्तों की सहमति के सम्बन्ध में अवगत करायेगा। जिलाधिकारी प्रपत्र 'ख' में भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करेगा अथवा आवेदन प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसे अस्वीकुत कर देगा। स्वीकृति हेतु अस्वीकृति आदेश, तत्संबंधी कारणों को अभिलिखित करते हुये आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जायेगाः

परन्तु यह कि जिलाधिकारी सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विहित विक्रय तथा विक्रय मूल्य की सामान्य शर्ते नियत कर सकता है :

परन्तु यह भी कि फुटकर विक्रेताओं, जो अधिकतम 100 क्यूविक मीटर तक खनिज की मात्रा भण्डारित कर सकते है, को सरकार द्वारा यथा विहित प्रयोजनार्थ विकसित किये गये वेब पोर्टल पर आनलाइन दर्ज करना होगा और साथ ही साथ सम्बन्धित जिला के खान अधिकारी को प्रपत्र 'घ' में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करनी होगी।

भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु सामान्य शर्ते

7. अनुज्ञप्ति प्रपत्र 'ख' में निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन स्वीकृत की जायेगी;

(एक) अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण स्थल पर प्रमुखता से विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना होगा।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी को स्टाक के समुचित अनुश्रवण हेतु सी सी टी वी कैमरा और जॉच द्वार अभिनियोजित करना होगा।

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी को ई–प्रपत्र 'ग'/प्रपत्र 'ग'/प्रपत्र–छ में प्रतिदिन विभिन्न गंतव्य पर प्राप्त कराये गये और परिवहन किये गये खनिजों की शुद्ध और बोधगम्य लेखा अनुरक्षित करना होगा जो विधिमान्य अभिवहन पास, जिसके माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी ने खनिज प्राप्त किया हो, की मात्रा के अनुरूप होगा।

(चार) अनुज्ञप्तिधारी को अनुवर्ती माह के प्रथम सप्ताह के भीतर प्रत्येक माह हेतु क्रमशः खण्ड (दो) तथा (तीन) के अधीन अनुरक्षित प्रपत्र 'ड़' में मासिक विवरणी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(पॉच) समस्त रिपोर्ट, विवरणियां और रजिस्टर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरक्षित किये जायेंगे और कारबार–स्थल पर रखे जायेंगे तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छः) अनुज्ञप्तिधारी खनिजों को भण्डारित करते हुये अथवा उन्हे प्रसंस्करण संयंत्र या सज्जीकरण संयत्र या कारखाना में उपयोग करते समय पर्यावरण को प्रदूषित नही करेगा।

(सात) अनुज्ञप्तिधारी को खान निदेशालय के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को खनिज स्टाक का सत्यापन करने और नमूना तथा अभिलेखों का उद्धरण ग्रहण करने

हेतु भण्डार, कारखाना, प्रसंस्करण संयत्र तथा सज्जीकरण संयत्र कर निरीक्षण करने देना होगा।

(आठ) जिलाधिकारी ऐसी अग्रतर शर्त अधिरोपित कर सकता है, जो लोकहित में आवश्यक हो।

खनिजों का ऑनलाइन विक्रय

8. सरकार ऑनलाइन खनिज विक्रय की सुविधा प्रदान कर सकती है। उपभोक्ता इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट विभाग के वेब पोर्टल पर आनॅलाइन खनिज क्रय हेतु रजिस्टर कर सकते है।

अनुज्ञप्ति का नवीकरण

9. (1) अनुज्ञप्ति अधिकतम दो वर्ष के लिये इस शर्ते पर नवीकृत की जा सकती है कि समस्त निबंधनो एवं भार्तो का अनुपालन कर लिया गया है।

(2) यदि अनुज्ञप्ति नवीकरण, स्वीकृत किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि, यदि विधिमान्य हो, की गणना अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में की जायेगी।

(3) अनुज्ञप्ति, नवीकरण–अवधि, नवीकरणाधीन अनुज्ञप्ति की समाप्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

अनुज्ञप्ति का विखण्डन

10. जिलाधिकारी अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान किसी भी समय अनुज्ञप्ति की किसी निगंधन एवं शर्त को भंग किये जाने पर अनुज्ञप्ति को निलम्बित रख सकता है। अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस तामील किया जायेगा। यदि स्पष्टीकरण से जिला अधिकारी का समाधान हो जाता है तो वह ऐसे निलंबन को प्रत्याहृत कर सकता है और अनुज्ञप्तिधारी को कारोबार करने की अनुज्ञा दे सकता है। अन्यथा, जिला अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में संसूचित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है और उस पर सरकार के प्रति प्रोद्भूत ब्याज सहित प्रतिभूति जमा भी समपहृत कर सकता है।

अध्याय–तीन
खनिजो का परिवहन

खनिजो का परिवहन

11. (1) खनन पट्टा, खनन अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक द्वारा वाहन के माध्यम से खनिजों के समस्त प्रेषण के साथ एक ई–अभिवहन पास/अभिवहन पास दो प्रतियों में सलग्न किया जायेगा। वाहन के भारसाधक व्यक्ति को उक्त प्रयोजनार्थ अथवा राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजटमें अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मॉग किये जाने पर जॉच चौकी पर अभिवहन पास प्रस्तुत करना होगा।

(2) खनिज वहन करने वाले समस्त वाहनों को जॉच चौकी पर रूकना होगा और सम्बन्धित जॉच चौकी द्वार से निकासी दिये जाने के पश्चात् ही प्रस्थान करना होगा। जॉच चौकी के भारसाधक व्यक्ति को ई–अभिवहन /अभिवहन पास की प्रथम प्रति पर आवश्यक पृष्ठांकन करना होगा और उसे तत्काल ऐसे वाहन के प्रचालक को वापिस करना होगा और ई–अभिवहन /अभिवहन पास की द्वितीय प्रति जॉच चौकी के अभिलेखों में रखनी होगी।

अध्याय–चार
जॉच चौकी तथा नाके

12. (1) विधिसम्मत प्राधिकार के बिना निकाले गये खनिजों के परिवहन तथा भण्डारण की जॉच करने और पट्टाधृत क्षेत्रों तथा डिपो से परिवहन किये गये खनिजों

की गुणवत्ता तथा मात्रा की जॉच करने की दृष्टि से सरकार राज्य के भीतर किसी स्थान पर नाका (नाकों) तथा तुला चौकी (तुला चौकियों) सहित या उनके बिना जॉच चौकी (जॉच चौकियॉ) स्थापित कर सकती है।

(2) निम्नलिखित अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर किसी स्थान पर किसी वाहन को रोक सकते है और उसकी जॉच कर सकते है और वाहन के भारसाधक व्यक्ति को मांग किये जाने पर विधिमान्य अभिवहन पास/अनुज्ञा पत्र और ऐसे अन्य विवरण यथा देयक (देयकें) या रसीद (रसीदें) प्रस्तुत करने होगें।

	अधिकारी का पदनाम	**अधिकारिता**
(एक)	निदेशक, खान या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य
(दो)	मुख्य खान अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य
(तीन)	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट	सम्बन्धित जिला के भीतर
(चार)	ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक	अपने खनन जिला/क्षेत्र के भीतर
(पॉच)	जॉच द्वार पर्यवेक्षक	अपने खनन क्षेत्र के भीतर
(छः)	उपनिरीक्षक की क्षेणी से अनिम्न पुलिस अधिकारी	अपने सम्बन्धित अधिकारिता के भीतर

(3) प्रत्येक खनन पट्टा और/या अनुज्ञप्ति धारक को खनिजों के स्टाकों तथा लेखाओं और उनसे संबंधित किन्ही अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, सत्यापन तथा जॉच करने एवं नमूना ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी होगी वह अभिवहन के दौरान वाहन की जॉच तथा निरीक्षण, करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी कोा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा उसके साथ समन्वय स्थापित करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक खनन पट्टा और/या अनुज्ञप्ति धारक को खानों/डिपों से खनिज परिवहन करने वाले वाहन के भारसाधक व्यक्ति को ई–अभिवहन पास/अभिवहन पास की द्वितीय एवं तृतीय प्रतियां जारी करनी होगी और मूलप्रति बही में रखी जायेगी।

(5) जहॉ विभाग की कोई जॉच चौकी जॉच चौकी सह तुला चौकी हो वहॉ प्रत्येक वाहन को सामान्यतः इससे होकर गुजरना होगा। पट्टेदार या खनिज कर प्रयोग करने वाले संयत्र या कारखाना से अपने स्वयं के लागत पर तुला चौकी रखने हेतु कहा जायेगा और उन्हे तुला चौकी की तुलन पर्ची सहित अभिवहन पास जारी करना होगा।

समस्त वाहनों को ई–अभिवहन पास/अभिवहन पास की दो प्रतियां (द्वितीय और तृतीय) रखनी होगी और उस जॉच चौकी/तुला चौकी पर रूकना होगा जहॉ खनिज की मात्रा और गुणवत्ता का सत्यापन, सरकारी जॉचकर्ता कर्मचारिवृंद द्वारा किया जायेगा और वाहन के भारसाधक व्यक्ति द्वारा धारित तृतीय प्रति में जॉच चौकी लिपिक द्वारा आवश्यक पृष्ठांकन करके निकासी दिये जाने के पश्चात् ही प्रस्थान करना होगा। द्वितीय प्रति

जॉच द्वार लिपिक को सौंप दी जायेगी जो इसे कार्यालय अभिलेख के निमित्त रख लेगा।

(6) तुला चौकी के स्वामी को तुला चौकी को पूर्ण क्रियाशील दशा में रखना होगा और उसके ठप जाने या ठीक से कार्य न करने के सम्बन्ध में सूचना तत्काल सम्बन्धित खनन अधिकारी को दी जायेगी।

(7) नाका या तुला चौकी के साथ या उसके बिना प्रत्येक जॉच चौकी के कार्य समय के सम्बन्ध में खनन अधिकारी द्वारा अग्रिम में आख्यापित किया जायेगा और उक्त कार्य समय, उस क्षेत्र में खनिज यातायात की सामान्य अपेक्षा के अनुरूप होगा।

(8) जॉच चौकी और/या तुला चौकी का सरकारी भारसाधक जॉकर्ता कर्मचारिवृंद लाये गये खनिज की मात्रा तथा गुणवत्ता का सत्यापन कर सकता है और अभिवहन पास/अनुज्ञापत्र की एक प्रति वापस कर देगा। वह उक्त पास/अनुज्ञापत्र की दोनों प्रतियों में लायी गयी और उक्त पास/अनुज्ञा पत्र में दर्शायी गयी खनिज की मात्रा तथा गुणवत्ता के मध्य हुई विसंगति से सम्बन्धित कोई टिप्पणी अभिलिखित करेगा। वह किसी खान स्वामी/अनुज्ञप्तिधरी की ओर से दुहराई गयी विसंगतियों से सम्बन्धित कोई मामला खनन अधिकारी के संज्ञान में लायेगा।

(9) वाहन के भारसाधक व्यक्ति को, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर परेषक, परेषिती और खनिजों से सम्बन्धित समस्त सुसंगत सूचना उपलब्ध करानी होगी।

(10) खनिज और वाहन की जॉच करने के पश्चात् जॉच चाकी या तुला चौकी के भारसाधक अधिकारी को अभिवहन पास पर पदनाम दिनांक और समय सहित अपना हस्ताक्षर करना होगा।

(11) यदि जॉच चौकी या तुला चौकी के भारसाधक अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने कर कारण हो कि खनिज अभिवहन पास से आच्छादित नही है अथवा परिवहन बिना किसी विधिमान्य पास के किया गया है तो ऐसा अधिकारी यान को निरूद्ध कर सकता है। तब जॉच चौकी या तुला चौकी का भार साधक अधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त खनिज (खनिजों), यान (यानों), उपकरण (उपकरणों), उपस्कर (उपस्करों) अथवा किसी अन्य वस्तु (वस्तओं) को अभिग्रहीत कर लेगा। अभिग्रहीत खनिज (खनिजे) यान (यानें) उपकरण (उपकरणें) उपस्कर (उपस्करें) या कोई अन्य वस्तु (वस्तुऐं) अपराध का संज्ञान लेने हेतु सक्षम न्यायालय के किसी आदेश द्वारा अधिहृत किये जाने योगय होगी और उनका निस्तारण न्यायालय के निदेश के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय–पॉच
प्रकीर्ण

शास्तियां **13.** (1) जो कोई इस नियमावली के नियम का उल्लंघन किया हुआ पाया जायेगा, जिलाधिकारी रूप्ये 5,00,000/–(पॉच लाख रूपये) तक की शाज्ञित और रायल्टी सहित ऐसे खनिज की मूल्य के वसूली करेगा। उक्त शास्ति की धनराशि जमा करने में विफल रहने पर सम्बन्धित स्टाक अनुज्ञप्ति के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से जिला अधिकारी द्वारा उक्त की कटौती कर ली जायेगी।

(2) किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस नियमावली के किसी उपबन्ध या अनुज्ञप्ति के किसी शर्त को भंग किये जाने अथवा उसका उल्लंघन किये जाने के मामले

में जिलाधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को अपने मामले का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति का अवधारण कर सकता है।

छूट

14. सरकार किसी आदेश के माध्यम से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को मात्र वैज्ञानिक परीक्षण तथा अनुसंधान कार्य के प्रयोजनार्थ इस नियमावली के किसी उपबन्ध की परिधि से छूट प्रदान कर सकती है।

अपील

15. (1) जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, प्रपत्र 'च' में आयुक्त को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

(2) प्रत्येक अपील के साथ शीर्षक '0853' के अधीन जमा किये जाने हेतु 2000/– रूपये कर फीस संलग्न की जायेगी।

(3) आयुक्त विरोध में अपील किये गये आदेश को जैसाकि वह उचित और उपयुक्त समझे, पुष्टिकृत, उसे उपान्तरित या अपास्त कर सकता है।

इस नियमावली के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण

16. (1) इस नियमावली के अनुसार सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

(2) इस नियमावली या तत्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसार सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के कारण हुई या होने हेतु संभाव्य किसी क्षति के लिये सरकार के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

[1]{ अध्याय–6
निरसन एवं व्यावृत्ति

विखण्डन एवं विधिमान्यकरण

17. उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 के प्रारम्भ होने के दिनांक को–

(क) उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 विखंडित मानी जायेगी;

(ख) उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 का कोई संदर्भ, उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 का संदर्भ माना जायेगा;

(ग) ऐसे विखंडन के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अधीन जारी अनुज्ञप्तियॉ, उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के प्रारम्भ होने के दिनांक से 03 माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी। }[1]

---

1. प्रथम संशोधन संख्या 342/86–2019–183/2011 दिनांक 09.03.2019.

आज्ञा से,
हिमाशु कुमार,
प्रमुख सचिव।

अनुसूची

प्रपत्र–'क'

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

{नियम–5(1) देखे}

दिनांक.....

सेवा में,

जिलाधिकारी,

..... ।

महोदय,

मै/हम निवेदन करता हूँ/करते है कि मुझे/हमे उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अधीन खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति दी जाये।

2– 10,000/–रूपये (रूपये दस हजार मात्र) की धनराशि, जो उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अनुसार इस आवेदन के सम्बन्ध में देय फीस है, जमा कर दी गयी है।

3– अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैः–

(एक) आवेदक का नाम, पूरे पते सहित

(दो) क्या आवेदक गैर सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है?

(तीन) यदि आवेदक

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता,

(ख) यदि कम्पनी है तो कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय,

(ग) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता,

(घ) आवेदक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति,

(ड़) खनिज या खनिजों के नाम, जिन्हे आवेदक भण्डारित करना चाहता है,

(च) अवधि, जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है,

(छ) भण्डारण के लिये उपयोग की जाने वाली भूमि का विवरण–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	मोहल्ला	अवस्थान
1	2	3	4	5

(चार) (क) क्या आवेदक उस भूमि पर सतही अधिकार रखता है जिसे भण्डारण के लिये वह उपयोग में लाना चाहता है?

(ख) यदि नही, तो क्या भण्डारण के लिये भूमि के स्वामी या अधिभोगी से सहमति प्राप्त कर ली है, यदि हॉ, तो स्वामी या अधिभोगी से प्राप्त लिखित सहमति दाखिल की जाये।

(पॉच) भूमि का संक्षिप्त विवरण, विशेष संदर्भ सहित,

(छः) भण्डारित किये जाने वाले खनिज/खनिजों की मात्रा,

(सात) खनिज/खनिजों के भण्डारण का उद्देश्य

(आठ) भण्डारण के लिये उपयोग होने वाली भूमि का मानचित्र,

मै/हम एतद्दारा घोषणा करता हूँ/करते है कि ऊपर दिये गये विवरण सही है और मै/हम कोई अन्य विवरण, जिसके अर्न्तगत आप द्वारा यथा अपेक्षित यथार्थ नक्शे भी है, देने को तैयार हूँ/है।

भवदीय,

(आवेदक का हस्ताक्षर और नाम)

स्थान.....

दिनांक.....

प्रपत्र 'ख'

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति

{नियम–6 देखिये}

संख्या.....

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता.....
.....
2. अनुज्ञप्ति कर अवधि.....से.....तक
3. भण्डारण के लिये अनुज्ञा प्राप्त खनिजों की मात्रा–
4. प्रत्येक खनिज की एक ही समय में अनुज्ञा प्राप्त मात्रा–
5. भण्डारण का प्रयोजन–
6. खनिजों के भण्डारण हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति–

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	मोहल्ला	अवस्थिति
1	2	3	4	5

स्थान.....

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्रधिकारी

के हस्ताक्षर तथा मुहर

————————

प्रपत्र–'ग'

अभिवहन पास (तीन प्रतियों में)

{नियम–7 (तीन) देखें}

पुस्तक संख्या

अभिवहन पास क्रम संख्या दिनांक.....समय.....

1. भण्डारण के स्वामी का नाम, पूरा पता सहित
2. भण्डारण स्थल का विवरण
   गाटा संख्या.....ग्राम.....
   तहसील एवं जिला.....
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञा का विवरण आदेश संख्या.....
   दिनांक.....
4. अनुज्ञा का वैध दिनांक
5. परिवहन किये जा रहे खनिज का नाम
6. प्रेषित किये जा रहे खनिज की मात्रा (घन मी0 में)
7. गंतव्य स्थान कहॉ से–
   कहॉ तक–
   प्रकार–
8. वाहन के प्रकार का विवरण (ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली की दशा में वहन का रजिस्ट्रीकरण संख्या, इंगित करे) (ट्रक / ट्रैक्टर) रजिस्ट्रीकरण संख्या–
9. परेषण के भारसाधक व्यक्ति के हस्ताक्षर, पूरा नाम पता सहित दिनांक एवं समय सहित

नोट– 1. प्रतिपर्ण भण्डारण स्थल पर रख लिया जायेगा।

2. अन्य दो पर्ण परेषण के भारसाधक व्यक्ति को दिये जायेगें, जिसमें से एक पूर्ण जॉच चौकी में रख लिया जायेगा।

प्रपत्र–'घ'

विवरणी

{देखिये नियम–6}

सेवा में,

जिलाधिकारी

.....

त्रैमास.....के लिये विवरणी

1. भण्डार के स्वामी का नाम और पता.....
2. परिसर, जहॉ खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व, यथाः–
   गाटा संख्या.....ग्राम.....
   तहसील.....जिला.....
3. खनिज के भण्डारण हेतु जिला भण्डारण प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक.....
   .....
4. खनिजों के स्टाक का विवरण जैसा नीचे स्तम्भ में दिया गया है :–

खनिज / खनिजों का नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारिम्भक स्टाक (घन मीटर में)	त्रैमास के दौरान प्राप्त खनिज की कुल मात्रा (घन मीटर में)	त्रैमास के दौरान प्रेषित खनिज / खनिजों की कुल मात्रा (घन मीटर में)	त्रैमास के दौरान जारी किये गये अभिवहन पासों की कुल संख्या दिनांक सहित	प्रेषण हेतु प्रयोग किये गये ट्रक या ट्रैक्टर या ट्राली की कुल संख्या	परिवहन के प्रकार का विवरण (ट्रक / ट्रैक्टर / ट्राली की रजिस्ट्रीकरण संख्या)	खनिजवार अंतिम स्टाक (घन मीटर में)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान.....

दिनाक.....

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र–'ड़'

विवरणी

{देखिये नियम–7 (चार)}

सेवा में,

जिलाधिकारी

.....

त्रैमास.....के लिये विवरणी

1. भण्डार के स्वामी का नाम और पता.....
2. परिसर, जहॉ खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व, यथाः–
   गाटा संख्या.....ग्राम.....
   तहसील.....जिला.....
3. खनिज के भण्डारण हेतु जिला भण्डारण प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक.....
   .....
4. खनिजों के स्टाक का विवरण जैसा नीचे स्तम्भ में दिया गया है :–

खनिज / खनिजों का नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारिम्भक स्टाक (घन मीटर में)	माह के दौरान प्राप्त खनिज की कुल मात्रा (घन मीटर में)	माह के दौरान प्रेषित खनिज / खनिजों की कुल मात्रा (घन मीटर में)	माह के दौरान जारी किये गये अभिवहन पासों की कुल संख्या दिनांक सहित	प्रेषण हेतु प्रयोग किये गये ट्रक या ट्रैक्टर या ट्राली की कुल संख्या	परिवहन के प्रकार का विवरण (ट्रक / ट्रैक्टर / ट्राली की रजिस्ट्रीकरण संख्या)	खनिजवार अंतिम स्टाक (घन मीटर में)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान.....

दिनाक.....

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र–'च'

अपील हेतु आवेदन का आदर्श प्रपत्र

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

{नियम–15 (1) देखे}

सेवा में,

मण्डलायुक्त,

मण्डल।

महोदय,

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का विवरण) नियमावली 2018 के उपबन्धों के अधीन.....द्वारा पारित आदेश संख्या.....दिनांक.....के विरूद्ध एक अपील दायर की जा रही है। अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है।

1	अपील दायर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों, फर्म या कम्पनी का नाम और पता	.....
2	व्यक्ति/व्यक्तियों या फर्म या कम्पनी का व्यवसाय	.....
3	उस प्राधिकारी जिसके विरूद्ध अपील दायर की जा रही है, के आदेश की संख्या और दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न की जाय)	.....
4	अपीलार्थी/अपीलार्थियों को आदेश की संसूचना का दिनांक	.....
5	खनिज/खनिजों, जिनके लिये अपील दायर की जा रही है	.....
6	उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एव भण्डारण का विवरण) नियमावली 2018 के नियम–15 (2) के खण्ड (ख) में यथाविहित रीति से अपील के लिये जमा किये गये 2000 रूपये की विहित फीस का विवरण	ट्रेजरी चालान संख्या– (प्रतिलिपी संलग्न की जानी चाहिये) दिनांक–
7	क्या प्रतिवादित आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक के 30 (तीस) दिन के भीतर अपील दायर की गयी है?	.....
8	यदि नही, तो उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का विवरण) नियमावली 2018 के नियम–15 (1) के अधीन दिये गये उपबन्ध के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न किये जाने का कारण	.....
9	बनाये गये पक्ष/पक्षकारों, यदि कोई हो, के नाम और पूरा पता	.....
10	इसके साथ संलग्न अपील की प्रतियों की संख्या	.....
11	अपील के आधार (विवरण पृथक–पृथक प्रस्तुत किये जा सकते है) (एक) संक्षिप्त तथ्य (दो) आधार (तीन) प्रार्थना	
12	यदि अपील मुख्तारनामा धारक द्वारा दायर की गयी है तो ऐसे मुख्तारनामे को संलग्न किया जाय। संलग्नक– 1. 2. 3.	

स्थान.....

दिनांक.....

भवदीय

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

और पूरा पता

प्रपत्र–'छ'

मुख्य खनिजों के परिवहन के लिये अभिवहन पास

{नियम–7 (तीन) देखिये}

दिनांक..... समय.....

1	पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी का नाम	.....
2	खान की अवस्थिति	.....
3	खनिज का नाम	.....
4	खनिज की मात्रा	.....
5	किस प्रयोजन या उघोग में खनिज का उपयोग किया जायेगा	.....
6	गन्तव्य स्थान	.....
7	परिवहन साधनों का विवरण (यदि यान हो तो उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या)	.....
8	खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और अंगुष्ठ चिन्ह	.....
9	परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम और पता	.....
10	परेषण के भारसाधाक व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर	.....
11	अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर	.....

टिप्पणी– (1) प्रतिपर्ण खान में रख लिया जायेगा।

(2) दो प्रतिपर्ण परेषण के भार साधक व्यक्ति को दिये जायेंगे, जिसमें से एक प्रतिपर्ण पास को जॉच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जायेगा।

U.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018

(As Amended up to 04.08.2020)

1. U.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018 First Amendment vide No. 342/LXXXVI-2019-183/2011, dated 09.03.2019

2. U.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018 Second Amendment vide No. 729/LXXXVI-2020-183/2011, dated 22.05.2020

2A. U.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018 Third Amendment vide No. 1090/LXXXVI-2020-183-2011, dated 04.08.2020

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3091/LXXXVI-2018-183-2011 dated December 20, 2018.

No. 3091/LXXXVI-2018-183-2011
Dated Lucknow, December 20, 2018

In exercise of the powers conferred by Section 23-C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 and in supersession of Notification No. 4268/77-2002-53/2001, dated September 2, 2003, regarding the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and storage) Rules, 2002, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules with a view to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals in the State of Uttar Pradesh.

U.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018

CHAPTER - I
Preliminary

1. Short title, extent and commencement

(1) these rules may be called the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette.

2. Definitions

(1) in these rules, unless the context otherwise requires -

(a) *"Act"* means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957);

(b) *"District Officer"* means Collector or District Magistrate of the concern district;

(c) *"Carrier"* means any mode of conveyance or facility by which mineral is transported from one place to another and it includes truck, tractor, dumper, rail, vessel or any other means;

(d) *"Check-post"* means any permanent or temporary structure managed by authorised personnel to verify the documents relating to transport of mineral(s);

(e) *"Form"* means a form appended to these rules;

(f) *"Government"* means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) *"Government Laboratory"* means Chemical Analytical Laboratories functioning under the control of the Department of Geology and Mining Uttar Pradesh;

(h) *"Illegal mining"* means any mining activity undertaken in violation of sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(i) *"Illegal transportation"* means transportation or caused to be transported of any mineral otherwise than in, accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder;

(j) *"Illegal storage"* means the storing of any mineral other than in accordance with the provisions of the Act and these rules;

(k) *"Inspecting officer"* means any person authorised by the Government under Section 24 of the Act and Rule 66 of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 1963:

(l) *"Research work"* means any work done for beneficiation and upgradation of the mineral and for examining its suitability for utilisation in the industry and for the purpose of scientific study without any commercial utilisation;

(m) *"Scientific test"* means any test conducted for chemical analysis or mineralogical study of mineral and assessment of its chemical and mineralogical constituents and properties for the purpose of scientific study without any commercial utilisation;

(n) *"Storage licence"* means licence issued by the District Officer to any person, who wishes to possess, sell, trade in, transport, store or otherwise deal with any mineral;

(o) *"Storage Licensee"* means any person holding licence under these rules to carry on business of buying, possessing, storing, selling, supplying, transporting, distributing or delivering for sale or processing of mineral(s);

(p) *"Transit pass"* means a pass issued by the District Officer for lawful transportation of any mineral, raised in accordance with the provisions of the Act and these rules;

(q) *"Transportation"* means carrying of mineral from one place to another;

(r) *"Weighbridge"* means mechanised or electronic system of weighing minerals or mineral products;

(s) *"Urban Area"* means area notified by the State Government as urban and development area.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act.

3. Prohibition

(1) No person shall carry on the business of buying, possessing, storing, selling, supplying, transporting, distributing or delivering for sale or processing of minerals at any place for the purpose of sale or consumption or otherwise deal with any mineral except in accordance with the terms and conditions of a stock licence granted under these rules:

Provided that a holder of a reconnaissance permit, prospecting, licence or mining lease in respect of the minerals for which he holds a mineral concession shall not be required to obtain a licence for possessing, storing, selling, supplying, transporting, distributing or processing of such mineral(s) within the leasehold area and transportation from the leasehold area as the case may be:

Provided further that lessee/permit holder or any person who purchase and possess mineral(s) for utilisation of their own consumption shall not be required to obtain a licence.

4. Eligibility for grant of licence and storage of minerals

(1) Every Person shall be eligible for grant of license except the following person-

(a) a person who is not an Indian National;

(b) a company which is not in the ambit of Companies Act, 2013;

(c) a person who is convicted by a court;

(d) a person whose license has been cancelled for violation of terms and conditions of a previous licence;

(e) [1]**[**Lessee in case of river bed minerals for the concerned district**]** [2]**[**except in the storage license period ending on December 31, 2020, owing to conditions arising from Covid-19 pandemic**.]**[2]

(2) The storage of mineral shall be permitted if-

(a) [1]**[**it is not within a radius of 5 km. from the leased out area in case of river bed minerals**:]**[1]

[2A][Provided that said restrictions shall not be applicable to the industries based on the sand, bajari, boulder in mixed state exclusively found in river-bed**;]**[2A]

(b) [2A]**[**it is not stocked beyond the quantity specified in the licence**.]**[2A]

---

1. U.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018 First Amendment vide No. 342/LXXXVI-2019-183/2011, dated 09.03.2019
2. U.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018 Second Amendment vide No. 729/LXXXVI-2020-183/2011, dated 22.05.2020
2A. U.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018 Third Amendment vide No. 1090/LXXXVI-2020-183-2011, dated 04.08.2020

CHAPTER - 2
Grant of Storage Licence and Its Renewal

5. Application for grant of Storage Licence

(1) Any person who intends to procure, possess, store, sell, trade in, consume or otherwise deal with any mineral shall make an for storing and trading or storing and consuming any mineral whose source of procurement is not in the jurisdiction of the District Officer, he shall submit affidavit mentioning the source/ place of procurement of minerals. The application shall be submitted in duplicate to the District Officer under whose jurisdiction the applicant intends to store the mineral.

(2) The applicant shall deposit a non-refundable fee of Rupees Ten thousand only through treasury challan under the Head of Account "0853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries 102-Mineral Concession Fees, Rents and Royalties".

(3) Every application made under sub-rule (1) shall be accompanied by -

(i) the original challan for the non-refundable fee as prescribed under sub-rule (2) deposited under proper Head of Account and on receipt of security deposit amounting 10% of the market value of the mineral stock;

(ii) document pertaining to the title of land which may include sale deed/rent deed/ consent of the land owner or notarised affidavit;

(iii) Cadastral map, Najri Naksa detailing the boundaries of the area;

(iv) Character Certificate;

(v) Solvency Certificate of not less than 10% of the royalty of the quantity of mineral applied for;

(vi) an affidavit to the effect that the applicant has not been convicted in any Court of Law in any case relating to theft or smuggling or illegal mining or illegal transporting or illegal storage of minerals;

(vii) an attested copy of the valid clearance certificate of mining dues payable under the Act or rules made thereunder issued by the District Officer.

6. Disposal of application for storage licence

After making such enquiry as it may consider necessary, and upon receipt of security deposit of 10% of the royalty of the quantum of the mineral applied for, the District Officer may grant a storage licence to the applicant on the condition specified in Rule 7 for a period not exceeding three years at a time, with the condition that for river bed mineral, in every monsoon season ending 30th September, the licensee

has to produce return/record showing liquidation of 90% of his stock, which will be verified by the Senior Mines Officer/Mines Officer/Mines Inspector of the concerned district. In the absence of stock liquidation, the District Officer can cancel the licence where found necessary and forfeit the security deposit.

In case he decides to grant the storage licence, the District Officer shall communicate the terms and conditions governing grant of such licence to the applicant for his acceptance. The applicant shall intimate about the acceptance of terms and conditions within seven days from the date of receipt of communication. The District Officer shall grant the storage licence in Form 'B' or refuse the same with reasons to be recorded in writing within one month from the date of receipt of the application. Order of refusal to grant shall be communicated to the applicant recording reasons thereof by registered post:

Provided that the District Officer may fix the general conditions of sale and sale price as prescribed by the Government from time to time:

Provided further that retailers, who can store mineral quantity for maximum up to 100 cubic metre, will have to register online on the web portal developed for this purpose as prescribed by the Government as well as file quarterly returns in Form 'D' with the Mines Officer of the concerned district.

7. General conditions for grant of storage licence

The licence shall be granted in Form B subject to the following conditions:

(i) The licensee shall prominently display the sale price at the storage point.

(ii) The licensee shall deploy CCTV camera and check gates for proper monitoring of the stock.

(iii) The licensee shall maintain a correct and intelligible account of minerals procured and transported daily to different destinations in the format prescribed in e-Form 'C'/Form 'C7 Form 'G' which will be corresponding to the quantity of valid transit pass by which licensee has received the mineral.

(iv) The licensee shall submit the monthly return in Form 'E' of the accounts maintained under clauses (ii) and (iii) respectively for every month within the first week of the succeeding month to the District Officer.

(v) All the reports, returns and registers shall be maintained by the licensee and kept in the place of business and be made available to the Inspecting Officer.

(vi) The licensee shall not pollute the environment by storing the minerals or while utilising them in the proceesing plant or beneficiation plant or the factory.

(vii) The licensee shall allow the inspecting officers of the Directorate of Mines to inspect the store, factory, processing

plant, beneficiation plant to verify the stock of minerals and to take samples and extract of records.

(viii) The District Officer may impose such further condition as may be necessary in the interest of the public.

8. Online selling of minerals

The Government may provide for facility of online sale of the minerals. Consumers may register online for the purchase of the minerals on the web portal of the department specified for this purpose.

9. Renewal of Licence

(1) The licence can be renewed for a maximum period of two years subject to the condition that all the terms and condition have been complied with.

(2) In case the renewal of licence is granted, the security money already deposited by the licensee, if valid, shall be accounted for as the security deposit for the renewal of licence.

(3) The period of renewal of licence shall commence from the date of the expiry of the licence under renewal.

10. Rescission of Licence

The District Officer may, at any time during the tenure of licence, suspend the licence for breach of any of the terms and conditions of the licence.

Before cancellation of the licence, the licensee will be served a show-cause notice. If the District Officer is satisfied with the explanation, he may withdraw the order of such suspension and allow the licensee to carry on his business. Otherwise, the District Officer, after giving an opportunity to the licensee of being heard, cancel the licence by an order in writing communicated to the licensee and may also forfeit the security deposit along with the interest accrued thereon to the Government.

CHAPTER - 3
Transport of the Minerals

11. Transport of minerals

(1) All dispatch of minerals by holder of mining lease, mining permit or prospecting licence by a carrier shall be accompanied with a E-transit pass/ transit pass in duplicate. The person in charge of the carrier shall produce the transit pass at the check post for the purpose, or on demand by any officer, authorised by the State Government by notification in the Official Gazette.

(2) All carriers, carrying the mineral shall stop at the check post and proceed after having been cleared by the respective check post. The in charge of the check post shall make necessary endorsement on the first copy of the E-transit/transit pass and return immediately to the operator of such carrier and second copy of such E-transit/transit pass will be kept in records of the check post.

CHAPTER - 4
Check Post and Barriers

12. Establishment of check post, barrier and weighbridge and inspection of mineral in transit

(1) With a view to checking the transport and storage of minerals raised without lawful authority and to check the quality and quantity of minerals transported from lease hold areas and depot, the Government may set up check post(s) with or without barrier(s) and weighbridge(s) at any place within the State.

(2) The following officers or any other officer authorised by the State Government in this behalf may stop and check any carrier at any place within their respective jurisdiction and the person in charge of the carrier shall furnish the valid transit pass/permit and other particulars such as bill(s) or receipt(s) or delivery note(s) on demand.

	Designation of the Officer	Jurisdiction
I.	Director of Mines or the officers authorised by him	Whole of the State
II.	Chief Mines Officer	Whole of the State
III.	DM/ADM/SDM	Within their respective District
IV.	Senior Mines Officers/Mines Officers/Mining Inspectors	Within their respective Mining District/ Circle
V.	Check gate Supervisors	Within their Mining Circle
VI.	Police Officers not below the rank of sub-inspector	Within their respective jurisdiction

(3) Every holder of mining lease and/or licence shall provide necessary assistance to the authorised officer to inspect, verify and check the stocks and accounts of minerals and any other documents pertaining thereto and draw sample. He shall be responsible for providing necessary assistance and co-operation to the concerned authority for checking and inspection of the carrier during transit.

(4) Every holder of a mining lease and/or licence shall issue the duplicate and triplicate copies of the E-transit pass/transit pass to the in charge of the carrier transporting mineral from the mines/depot and the original copy shall be kept in the book.

(5) Where there is a check post or check post-cum-weightbridge(s) of the department every carrier will normally pass through this. The lessee or plant or factory using the mineral may be asked to have their own weighbridge at their own cost and they will issue transit pass along with weightment slip of weighbridge.

All the carries shall carry two copies of the E-transit pass/transit pass (duplicate and triplicate) and shall stop at the check post/weighbridge where the quantity and quality of the mineral will be verified by the Government checking staff and proceed after being cleared by the check post clerk by making necessary endorsement(s) in the triplicate copy held by the in charge of the carrier. The duplicate copy shall be handed over to the check-gate clerk who will keep it for office record.

(6) The owner of the weighbridge shall keep the weighbridge in perfect working condition and any break down or malfunctioning shall be reported forthwith to concerned Mining Officer.

(7) The working hours of each check post, with or without barrier or weighbridge shall be announced in advance by the Mining Officer, as the case may be. and shall be commensurate with general requirement of the mineral traffic in that sector.

(8) The Government checking staff in charge of check post and/or weighbridge may verify the quantity and quality of the mineral carried and shall return one copy of the transit pass/permit. He shall record in both copies of the pass/permit any observation relating to the discrepancy between the quantity and quality of mineral carried and that shown in the pass/ permit. He shall bring to the notice of the Mining Officer any case of repeated discrepancies in respect of any mine owner/licensee.

(9) The person in charge of the carrier shall, if so required by the authorised officer, furnish all relevant information regarding consigner, consignee and minerals.

(10) After checking the mineral and the carrier, the officer in charge of the check post or weighbridge or any other authorised officer shall put his signature and designation with date and time on the transit pass.

(11) If the officer in charge of check post or weighbridge or any other authorised officer has reasons to believe that the mineral is not covered by the transit pass or the transportation is without a valid pass, such officer shall detain the vehicle. Then the officer in charge of check post or weighbridge or any other authorised officer shall seize the mineral(s), vehicle(s), tool(s), equipment(s) or any other thing(s) used in transport of minerals. The seized mineral(s), vehicle(s), tool(s), equipment(s) or any other thing(s) shall be liable to be confiscated by an order of the court competent to take cognizance of the offence and shall be disposed of in accordance with the direction of the Court.

CHAPTER - 5
Miscellaneous

13. Penalties

(1) Whosoever is found to have contravened Rule 3 of this rule then the District Officer will recover penalty up to Rs 5,00,000 (five lakh) and the price of such mineral including royalty. On failure to deposit the said amount of penalty the same shall be deducted by the District Officer from the security money deposited against the concern stock licence.

(2) In case of any breach or contravention by a licensee of any provision of these rules or any condition of the licence, the District Officer may, after giving the licensee a reasonable opportunity to state his case, determine the licence.

14. Exemption

The Government may through an order, exempt any person or class of persons from the purview of any of the provision(s) of these rules for the purpose of scientific test and research work only.

15. Appeal

(1) Any person aggrieved by any order made by the District Officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, may appeal to the Commissioner in Form 'F' within thirty days of the date of communication of the order.

(2) Every appeal shall be accompanied with the fee of Rs 2000 to be deposited under the head "0853".

(3) The Commissioner may confirm, modify or set aside the order appealed against as it may deem fit and proper.

16. Protection of action taken under these rules

(1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done in accordance with these rules.

(2) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in accordance with these rules or any order made thereunder.

[1][CHAPTER - 6
Repeal and Saving

17. on the commencement of the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019;

(a) The Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2002 shall stand rescinded;

(b) Any reference to the Uttar Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2002 shall be construed as the reference to the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018;

(c) Notwithstanding such rescission the licenses issued under the Uttar Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2002 shall be valid for a period of 3 months from the commencement of the Uttar Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018**.][1]**

By order,
(HIMANSHU KUMAR),
Pramukh Sachiv.

---

1. U.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018 First Amendment vide No. 342/LXXXVI-2019-183/2011, dated 09.03.2019

The SCHEDULE
FORM-A
APPLICATION FOR LICENCE FOR STORAGE OF MINERALS
[See rule-5(1)]

Dated: day of 20

To,

The District Officer,

…….

Sir,

I/We request that a license or storage of minerals under the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018 be granted to me/us.

2. A Sum of Rs. 10000/- (Rs. Ten thousands only) being the fee in respect of this application payable in accordance with the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018 has been deposited.

3. The required particulars are given below :-

(i) Name of the applicant with complete address

(ii) Is the applicant a private individual/private Company/public company/firm or association?

(iii) In case applicant is :-

(a) an individual, his nationality,
(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed,
(c) firm or association, the nationality of all the partners of the firm or members of the association,
(d) profession or nature of business of applicant,
(e) mineral or minerals which the applicant intends to store,
(f) period for which the licence is required,
(g) details of the land to be used for storage

District	Tehsil	Village/Town	Mohalla	Location
1	2	3	4	5

(iv) (a) does the applicant have surface rights over the land for which he requires for storage.
(b) If not, has been obtained the consent of the owner or occupier of the land for storage so, the consent of the owner or occupier obtained in writing, be filed.

(v) brief description of the land with particular reference.

(vi) quantity of the mineral (s) to be stored.

(vii) purpose of storage of mineral(s).

(viii) map of the land to be used for storage.

I/we do hereby declare that the particulars furnished above are correct and I/we ready to furnish other details, including accurate plans as may be required by you.

Place:
Date:

Your's faithfully

(Signature and name of
the applicant)

FORM-B
LICENCE FOR STORAGE OF MINERALS
[See rule-6]

No.

1. Name and complete address of the licensee: …….
…….....
……
…….
…….

2. Period of the licence: From to

3. Name of the permitted Minerals for storage:

4. Permitted quantity of each Mineral at a time :

5. Purpose of the Storage :

6. Location of the land to be used for storage of the minerals:

District	Tehsil	Village/Town	Mohalla	Location
1	2	3	4	5

Place :
Date :

Signature and seal of
the licensing authority

FORM-C
TRANSIT PASS (in triplicate)
[See rule-7(iii)]

Book No.
Transit Pass Sr. No. Date……
Time……

1. Name of the Storage Owner with complete address

2. Details of Storage site Plot No. Village:
   Tehsil & Distt.

3. Details of permission given Order No.
   By the competent authority Dated :

4. Validity date of the permission.

5. Name of Mineral being transported

6. Quantity of mineral being dispatched
   (in Cu. mts.)

7. Destination: From
   To :

8. Particulars of mode of transport Mode :
   (in case of Truck, Tractor, (Truck/Tractor)
   Trolley indicate Registration
   No. of the Vehicle) Reg. No.

9. Signature with Full name and address
   of the person in-charge of consignment.

10. Full Signature of the person issuing
    the pass with date and time.

Notes :
(1) Counter foil has to be retained at the storage site.
(2) Other two foils will be given to the person in charge of consignment, one of which will be retained at the check post.

FORM-D
MONTHLY RETURN
[See rule-6]

To,

The District Officer
……..
……

Return for the quarter……..

(i) Name and address of Owner of the Store……

(ii) Location and ownership of Premises where mineral(s) stocked such as.:

Plot No…….. Village……
Tehsil…… District……...

(iii) No. and date of the order issued by District Authority for Storage of mineral
…….

(iv) Mineral stock details in column as given below:

Name of Mineral(s)	Opening stock of each mineral (in cu. mts.)	Total Quantity of mineral received during the quarter (in cu. mts.)	Total Quantity of mineral(s) dispatched during the quarter (in cu. mts.)	Total No. of Transit passes issued during the quarter with no. and date	Total No. of Truck or Tractor, Trolley used for dispatches	Details of mode of transport (Registration no. of Truck/Tractor, Trolley)	Closing stock, mineral wise (in cu. mts.)	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Place :
Date :

Signature of the licensee

FORM-E
MONTHLY RETURN
[See rule-7(iv)]

To,

The District Officer
……..
……..

Return for the quarter……..

(i) Name and address of Owner of the Store……

(ii) Location and ownership of Premises where mineral(s) stocked such as.:

Plot No…….. Village……
Tehsil…… District……...

(iii) No. and date of the order issued by District Authority for Storage of mineral
…….

(iv) Mineral stock details in column as given below:

Name of Mineral(s)	Opening stock of each mineral (in cu. mts.)	Total month of mineral received during the month (in cu. mts.)	Total month of mineral(s) dispatched during the month (in cu. mts.)	Total No. of Transit passes issued during the month with no. and date	Total No. of Truck or Tractor, Trolley used for dispatches	Details of mode of transport (Registration no. of Truck/Tractor, Trolley)	Closing stock, mineral wise (in cu. mts.)	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Place :

Date :

Signature of the licensee

FORM-F
MODEL FORM OF APPLICATION FOR APPEAL
(To be submitted in triplicate)
[See rule- 15(1)]

To,

Commissioner

……

Sir,

An appeal is being filed against the Order No. …… dated…….....passed by the……under the provisions of the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018. The required particulars are given below:

1.	Name and address of individual(s), firm or company filling appeal.	
2.	Profession of individual(s) or firm or company	
3.	Number and date of order of the authority against which appeal is being filed. (copy should be attached.)	
4.	Date of communication of the Order to the appellant(s)	
5.	Mineral(s) for which the appeal is being filed.	
6.	Details of prescribed fee of Rs. 2000 deposited in the manner as prescribed in rule 15(2) of the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018" for appeal.	Treasury Chalan No. (copy should be attached) Date
7.	Whether the appeal has been filed within 30(Thirty) days of the date of communication of the impugned order.	
8.	If not, the reasons for not presenting within the prescribed time limit as provided under rule 15(1) of the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018	
9.	Name and complete address of the party/parties impleaded,	
10.	Number and copies of the appeal attached herewith	
11.	Grounds of Appeal : (Details can be submitted separately.)	

(i) Brief facts
(ii) Ground
(iii) Prayer

12. If the appeal filed by the holder of power of Attorney, such power of attorney to be attached.

Place :

Date :

Yours faithfully,

Signature and complete
Address of the appellant

Enclosures :

1.
2.
3.